मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड ऑफिस:ब्लाक नं.2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008,
दूरभाष:(0761), 2702036,2702041, Website - www.mptransco.in
e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-1/ 1843 **दिनांक** 24/06/2025

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन/ नियम पुस्तिका 2025-26

1. म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि म.प्र.शासन का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कार्यरत है, के द्वारा, निम्नलिखित संवर्गो के रिक्त पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 04/08/2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

1.1 संवर्ग- सहायक अभियंता (पारेषण)

स.क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	12	6	0	0	0	0	12	6	18	VI-3 HI-2 LD-1 MD-3
		अजा	7	3	0	0	0	0	7	3	10	
		अजजा	8	4	0	0	0	0	8	4	12	
		अपिव	6	3	0	0	0	0	6	3	9	
		ई.डब्लू.एस.	4	2	0	0	0	0	4	2	6	
		योग	**37**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**18**	**55**	9
		ब. प्रावधिक भाग (13%)										
		अपिव	5	3	0	0	0	0	5	3	8	
कुल योग			**42**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**21**	**63**	**9**

1.2 संवर्ग- विधि अधिकारी

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-
		अजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ई.डब्लू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	-
		ब. प्राविधिक भाग (13%)										
		अपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल योग			**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	-

1.3 संवर्ग- कनिष्ठ अभियंता (पारेषण)

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	कनिष्ठ अभियंता (पारेषण) (तृतीय श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	30	8	6	1	17	4	53	13	66	VI-8 HI-9 LD-8 MD-8
		अजा	18	4	3	1	11	3	32	8	40	
		अजजा	22	6	4	1	13	3	39	10	49	
		अपिव	16	5	3	0	9	2	28	7	35	
		ई.डब्लू.एस.	12	2	2	1	6	2	20	5	25	
		योग	**98**	**25**	**18**	**4**	**56**	**14**	**172**	**43**	**215**	33
		ब. प्राविधिक भाग (13%)										
		अपिव	16	3	2	1	8	2	26	6	32	
कुल योग			**114**	**28**	**20**	**5**	**64**	**16**	**198**	**49**	**247**	**33**

1.4 संवर्ग- कनिष्ठ अभियंता (सिविल)

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (तृतीय श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	3	1	0	0	0	0	3	1	4	LD-1 HI-1
		अजा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
		अजजा	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
		अपिव	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
		ई.डब्लू.एस.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	**10**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1**	**11**	**2**
		ब. प्रावधिक भाग (13%)										
		अपिव	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
कुल योग			**10**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**2**	**12**	**2**

1.5 संवर्ग- लाइन परिचारक

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	लाइन परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	6	0	4	0	10	0	20	0	20	VI-2 HI-2 LD-2 MD-2
		अजा	3	0	2	0	6	0	11	0	11	
		अजजा	5	0	2	0	6	0	13	0	13	
		अपिव	2	0	2	0	5	0	9	0	9	
		ई.डब्लू.एस.	2	0	1	0	3	0	6	0	6	
		योग	**18**	**0**	**11**	**0**	**30**	**0**	**59**	**0**	**59**	8
		ब. प्रावधिक भाग (13%)										
		अपिव	2	0	2	0	4	0	8	0	8	
कुल योग			20	0	13	0	34	0	**67**	0	**67**	**8**

1.6 संवर्ग- उपकेन्द्र परिचारक

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	उपकेन्द्र परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	42	0	13	0	8	0	63	0	63	VI-6
		अजा	25	0	7	0	4	0	36	0	36	HI-7
		अजजा	32	0	9	0	5	0	46	0	46	LD-7
		अपिव	22	0	6	0	4	0	32	0	32	MD-6
		ई.डब्लू.एस.	16	0	4	0	2	0	22	0	22	
		योग	137	**0**	**39**	**0**	**23**	**0**	**199**	**0**	**199**	26
		ब. प्राविधिक भाग (13%)										
		अपिव	21	0	6	0	3	0	30	0	30	
कुल योग			158	0	45	0	26	0	229	0	229	26

1.7 संवर्ग- सर्वेयर परिचारक

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	निरंक		भूतपूर्व सैनिक		समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित		कुल			दिव्यांगजनों हेतु
			ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+H)	K=(E+G+I)	L	M
1	सर्वेयर परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	अ. मुख्य भाग (87%)										
		अना.	3	1	1	0	0	0	4	1	5	
		अजा	1	1	0	0	0	0	1	1	2	
		अजजा	1	1	1	0	0	0	2	1	3	HI-1
		अपिव	1	1	0	0	0	0	1	1	2	
		ई.डब्लू.एस.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
		योग	**7**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**9**	**4**	**13**	1
		ब. प्राविधिक भाग (13%)										
		अपिव	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-
कुल योग			8	4	2	0	0	0	10	4	14	1

टिप्पणी (एक): कंपनी अंतर्गत सर्वेयर परिचारक के पद पर चयनित कार्मिकों को टेंट में रहकर दूरस्थ वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र एवं निर्जन क्षेत्र जैसे स्थानों पर कार्य निष्पादित करना होता है। इस पद से जुड़ी कार्य की प्रकृति कार्यालयीन न होकर पूर्णत: मैदानी है। अत:, ऐसे आवेदक, जो इस कार्य को निष्पादित करने हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम हो, केवल वे ही आवेदन करें।

टिप्पणी (दो): इस विज्ञापन में पदों की आरक्षित श्रेणी का जो लघुरूप इंगित किया गया है, उनका पूर्ण रुप निम्नानुसार है:-

अना. – अनारक्षित, अजा- अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति, अपिव- अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्लूएस (ईकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

<u>दिव्यांगजन श्रेणी</u>: दिव्यांगजन हेतु आरक्षण, लंबवत (Vertical) आरक्षण की श्रेणी यथा अना.,अजा.,अजजा., अपिव. तथा ई.डब्लूएस. इत्यादि से प्रभावित नहीं होगा । सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 8-4/2002/आ.प्र./एक(पार्ट), भोपाल, दिनांक 18.12.2024 के अनुसार तथा उपरोक्त में समय-समय पर संशोधित नियमानुसार **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगताओं वाले अभ्यर्थियों को ही इस श्रेणी में आरक्षण की पात्रता होगी ।** भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि उक्त पत्र दिनांक 18.12.2024 के प्रावधानों में कोई संशोधन होता है, तो संशोधित प्रावधान मान्य होंगे । दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित श्रेणी का जो लघुरूप इंगित किया गया है, उनका पूर्ण रुप निम्नानुसार है:-

- VI- दृष्टि- बाधित और कमदृष्टि,
- HI- बहरे और कम सुनने वाले,
- LD- लोकोमीटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी)
- MD- ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता ।

टिप्पणी (तीन): इस विज्ञापन में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, "**कंपनी**" शब्द जब भी उपयोग किया जायेगा, का अर्थ "म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड" होगा।

1.8 कंपनी किसी भी समय इस विज्ञापन में विज्ञापित, किसी भी संवर्ग की रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाने एवं घटाने या रिक्तियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भरने या न भरने का अधिकार अपने पास पूर्ण सुरक्षित रखती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होने पर यह विज्ञापन आंशिक/पूर्ण रूप से किसी भी समय संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

1.9 उपरोक्त दर्शित रिक्तियों में दिव्यांगजनों हेतु चिन्हित रिक्तियाँ भी दर्शाई गई हैं। दिव्यांगजनों हेतु दर्शित रिक्तियों पर म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ8-2/ 2013/ आ.प्र./एक, दिनांक 29.04.2025 सहपठित म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. 3806/ 21316952/2023/तेरह दिनांक 08.05.2025 में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा । दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती, प्रक्रियांतर्गत कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्राप्त अंको के परिणाम के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची के अनुसार की जावेगी।

1.10 अन्य पिछडा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित न्यायालयीन याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ 3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर.सी.-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार विज्ञापित पदों के 87% पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% (प्रावधिक भाग) पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा। इस संबंध में म.प्र.शासन से जारी दिशा-निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।

1.11 इस विज्ञापन के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में कंपनी कैडर हेतु लागू नियमों एवं शर्तों तथा समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के अधीन एवं द्वारा शासित होंगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता एवं सुसंगत वेतनमान**:- सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित संवर्गो की शैक्षणिक योग्यता नीचे तालिका में दी गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए वेतन का निर्धारण कंपनी के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/III/650 दिनांक 15.02.2019 में दी गई वेतन मेट्रिक्स के अनुरूप निम्नानुसार किया जाएगा:-

क्र.	संवर्ग का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वेतनमान
1	सहायक अभियंता (पारेषण)	अभ्यर्थी को ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से "इलेक्ट्रिकल"/ "इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स" इंजीनियरिंग से पूर्णकालिक नियमित बी.ई./बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री निम्नानुसार उत्तीर्ण होना चाहिए:-	56100-177500 (लेवल-12)

		i) अना. / म.प्र.के मूल निवासी अपिव श्रेणी के लिए- न्यूनतम 65% (अथवा समतुल्य सीजीपीए) ii) म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/ ईडब्लूएस/ दिव्यांगजन श्रेणी के लिए - न्यूनतम 55% (अथवा समतुल्य सीजीपीए) iii) म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए- न्यूनतम 60% (अथवा समतुल्य सीजीपीए)	
2	विधि अधिकारी	अभ्यर्थी को यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पूर्णकालिक विधि स्नातक न्यूनतम 60% (अथवा समतुल्य सीजीपीए) तथा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों को न्यूनतम 55% (अथवा समतुल्य सीजीपीए) से उत्तीर्ण होना चाहिए।	56100-177500 (लेवल-12)
3	कनिष्ठ अभियंता (पारेषण)	ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अना./ म.प्र.के मूल निवासी अपिव श्रेणी के लिए न्यूनतम 65% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र.के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ "इलेक्ट्रिकल"/ "इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स" में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।	32800-136000 (लेवल-8)
4	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अना./ म.प्र.के मूल निवासी अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 60% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र.के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।	32800-136000 (लेवल-8)

5	लाइन परिचारक	केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आई.टी.आई. संस्थान से 2/3 वर्षीय विद्युतकार (इलेक्ट्रीशियन) ट्रेड में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)। आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर इत्यादि आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।	19500-62000 (लेवल-4)
6	उपकेन्द्र परिचारक	केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आई.टी.आई. संस्थान से 2/3 वर्षीय विद्युतकार (इलेक्ट्रीशियन) ट्रेड में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)। आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर इत्यादि आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।	19500-62000 (लेवल-4)
7	सर्वेयर परिचारक	केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आई.टी.आई. संस्थान से 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)। आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित सर्वेयर ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदानगर इत्यादि आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे।	19500-62000 (लेवल-4)

3. <u>आयु सीमा</u>ः

3.1 आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जावेगी।

3.2 कंपनी अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आवदेन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

स. क्र.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरूष (अना. वर्ग/ईडब्लूएस)/अन्य राज्य के अभ्यर्थी	40
2	मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला (अनारक्षित वर्ग/ईडब्लूएस)	45
3	मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरूष/महिला (आरक्षित वर्ग) (अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/दिव्यांगजन)	45
4	मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरूष/महिला (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45

3.3 आयु सीमा के उपरोक्त प्रावधान म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, दिनांक 04.07.2019 द्वारा लागू किये गये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में लागू आयु सीमा में छूट केवल म.प्र. के मूल निवासी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार पर ही लागू होगी तथा क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में माना जावेगा।

3.4 पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित आधार पर कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा संबंधित संवर्ग की प्रचलित सेवानिवृति की आयु होगी।

3.5 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवा के बराबर आयु सीमा में छूट दी जाएगी (अर्थात प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए आयु में 1 वर्ष की छूट)। यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हो गयी हो तो 05 वर्ष की संविदा अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जावेगी| आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.6 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के ज्ञापन संख्या सी-सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के अनुसार अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थी की आयु **42** वर्ष होने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष ही होगी।

3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, म.प्र. सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत युगलों के सवर्ण सदस्यों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के अनुसार अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए पुरस्कृत युगल के सवर्ण सदस्य की आयु **41** वर्ष होने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा **45** वर्ष ही होगी।

3.8 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक आवेदक, उनकी आयु में से की गई रक्षा सेवा की अवधि को घटा सकेंगे, बशर्ते परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

3.9 उम्मीदवार की जन्म तिथि जो हाई स्कूल (10 वीं) की मार्कशीट/ प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख है, ही मान्य होगी।

3.10 शासकीय/ निगम/बोर्ड/ स्वायत्त संस्थान/ मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत होम गार्ड के कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में छूट तभी स्वीकार्य होगी, जब वे ऑनलाईन आवेदन करते समय और दस्तावेज सत्यापन के समय भी निरंतर सेवा में हों। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद, यदि वह दस्तावेज सत्यापन के समय त्यागपत्र/ निष्कासन या किसी अन्य कारण से सेवा में नहीं रहता/ रहती है, तो उसे शासकीय/ निगम/ बोर्ड/ स्वायत्त संस्थान/ मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत होम गार्ड के लिए लागू आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

3.11 उपरोक्त उल्लेखित आयु सीमा में छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक एवं वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य/लागू होगी।

3.12 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत विभागीय/ संविदा कर्मचारियों/ भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों पर ही भूतपूर्व सैनिकों के आवेदकों को आयुसीमा में छूट की नियमानुसार पात्रता होगी ।

4. <u>आरक्षण</u> :-

4.1 सभी आरक्षण/ आरक्षित पदों हेतु प्रदत्त सुविधाएँ एवं शैक्षणिक योग्यता में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे।

4.2 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा./अ.ज.जा./अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ ईडब्ल्यूएस आवेदकों हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे, तथापि, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लंबित याचिकाओं में समय-समय पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों/ निर्देशों के अधीन होगा।

4.3 भर्ती प्रक्रिया में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 में इंगित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा तथापि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29/09/2022, क्रमांक एफ

3/1/2/0014/2023-जीएडी-आर.सी.-01(जीएडी) दिनांक 26/06/2023, क्रमांक एफ-07-46/2021/ आ.प्र./एक दिनांक 09/05/2023 एवं ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 23/05/2023, क्रमांक एफ 02-05/2015/तेरह दिनांक 30/06/2023 के अनुसार, इस विज्ञापन मे विज्ञापित पदों के 87% पदों (मुख्य भाग) पर जारी किया जाएगा एवं शेष 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिकाओं के संदर्भ में न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन एवं मान्य होगा।

4.4 दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चिन्हित पद पर आरक्षण 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर लागू होगा। किसी संवर्ग में दिव्यांगजनों का जिस श्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उन्ही संवर्गों में संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन करते समय श्रेणी अनुरूप छूट यथा आयुसीमा इत्यादि, यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति छूट इत्यादि दी जावेगी । मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों हेतु भर्ती के पूर्व, मेडिकल बोर्ड में बेरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य है।

4.5 सामान्य प्रशासन विभाग,म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/ आ.प्र./एक दिनांक 01/01/2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11/11/2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन कर लिया है, उन्हे संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4.6 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र अधिसूचना क्र.299 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार यदि कोई आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना एवं अशोक नगर की सहरिया/ सहारिया आदिम जनजाति, जिला-मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट एवं अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा छिंदवाडा एवं सिवनी की भारिया आदिम जनजाति का है, उक्त पद हेतु आवेदन करता है एवं पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद के विरूद्ध उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा। उक्त हेतु आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे।

4.7 म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड "संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023" के अनुसार म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिक, सीधी भर्ती में नियमित पदों हेतु आरक्षण के पात्र होंगे तथा म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संबंधित समकक्ष संवर्ग में कार्यरत संविदा कार्मिकों की कुल संख्या के 50% पद अथवा सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हो), समकक्ष संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। यदि किसी संविदा कार्मिक ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है, तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के

पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो। अगर किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि मे हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गयी हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके लिए आरक्षित पदों को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा तथा उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। इस प्रकार आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (Joining) के उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। **कृपया आवेदक आवेदन के पूर्व पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद के समकक्ष निर्धारित अवधि में संविदा पद धारण करते है।**

4.8 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 20% आरक्षण हॉरिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज है। यदि चयन सूची में पहले से ही वांछित प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक, मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा। म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे।

4.9 मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं तत्पश्चात किए गए संशोधनों के अनुसार जाति के आधार पर आरक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक, जो कि मध्यप्रदेश के शासकीय सेवा हेतु जारी किये गये हों, उम्मीदवारों के लिए लागू होगा। केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणी हेतु मान्य नहीं होंगे।

4.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का लाभ लेने का मापदंड सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ/प/ एक, दिनांक 02.07.2019, क्रमांक एफ 07-11/2019/आ/प/एक दिनांक 18.07.2019 एवं क्रमांक एफ 07-11/2019/आ/प/एक दिनांक 22.11.2019 के अनुसार होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यथियों को दिनांक 01.04.2025 के उपरांत सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.11 मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17/11/2015 के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओ की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अंतर्गत महिलाओ को 33 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज) आरक्षण प्रदान किया जावेगा। यदि चयन सूची में पहले से ही वांछित प्रतिशत महिला अभ्यर्थी, मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जायेगा। महिलाओं हेतु

आरक्षित पदो के विरुद्ध योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में इन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जावेगा अपितु उसी श्रेणी के उपलब्ध योग्य पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा। उपरोक्तानुसार आरक्षण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों को म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर उक्त आरक्षण से प्रदान की गयी छूट के अधीन/ अनुसार होगा। लाइन परिचारक एवं उपकेन्द्र परिचारक (परीक्षण परिचारक) के पदों को शासन द्वारा महिला आरक्षण से छूट प्रदान की गई है तथा कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु महिला आरक्षण 20% लागू है।

4.12 यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में कोई संशोधन, परिणामों की घोषणा से पहले किया जाता है (अर्थात ऑनलाईन परीक्षा/ सीबीटी के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तिथि), तो लागू संशोधन का तदनुसार पालन किया जाएगा।

4.13 यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति-

अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांगजन के आवेदकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2013 अनुसार एकल किराया राशि देय होगी।

पात्र अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से भरकर कम्प्यूटराईड बेस्ड टेस्ट (CBT) सेंटर में ऑन लाईन परीक्षा के पश्चात जमा करनी होगी, साथ ही प्रारूप के साथ प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं बैंक पास बुक के उस पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाताधारक का नाम, खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक एवं ब्रांच का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बैंक खाते की जानकारी के सापेक्ष निरस्त (कैंसिल्ड) चैक तथा एक तरफ की यात्रा टिकिट की मूलप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

5. <u>चयन प्रक्रिया :</u>

5.1 आवेदकों का चयन, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का बहुविकल्पीय होगा।

5.2 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जावेगा।

5.3 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test) (CBT) में न्यूनतम कटऑफ अंक 25% होंगे।

5.4 <u>लाईन परिचारक/ उपकेन्द्र परिचारक/ सर्वेयर परिचारक प्रशिक्षु के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण:</u>

(i) शारीरिक दक्षता हेतु चयन :- शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी, जो कि विज्ञापित रिक्तियों की अधिकतम तीन गुना के समतुल्य होगी।

(ii) ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 15 किलो ग्राम वजन लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना होगा।

एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जावेगा।

(iii) उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iv) शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी कंपनी की वेबसाईट पर अपना नाम देख सकेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अभ्यर्थी को लाईन/ उपकेन्द्र/ सर्वेयर परिचारक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया जावेगा।

(v) कार्य की प्रकृतिः- चयनित अभ्यर्थी को पदानुरूप विद्युत पारेषण से संबंधित लाईनों एवं उपकेन्द्रों का रखरखाव कार्य, अति उच्च दाब विद्युत लाईन के सर्वे एवं निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं अति उच्च दाब उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होगें। आवश्यकतानुसार, लाइन परिचारक तथा उपकेन्द्र परिचारक संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को हॉट लाइन तथा बेयरहैंड तकनीक का प्रशिक्षण दिया जावेगा व उन्हें विद्युत लाइनों में हॉट लाइन तथा बेयरहैंड तकनीक से कार्य करना होगा।

5.5 प्रावीण्य सूची आरक्षित श्रेणीवार बनाई जाएगी। प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी, जो परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है। आदेश जारी होने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.6 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राप्तांकों के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः-

(i) दिव्यांगजनों के प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 3-7/2017/26-1 दिनांक 22.01.2018 में इंगितानुसार अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii) जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iii) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा:-

6.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, म.प्र. राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित की जावेगी।

6.2 आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिये गये परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नही किया जावेगा। आवेदक द्वारा चुने हुये परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। चयन किये हुये शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

6.3 परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

6.4 कंपनी परीक्षा शहरों/ केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है। म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर किसी भी समय बिना कोई कारण बताये परीक्षा शहरों/ परीक्षा केंद्रों को कम अथवा ज्यादा कर सकती है।

6.5 आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जावेगी।

6.6 परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों यथा डिजीटल/स्मार्ट वॉच, हेल्थ एवं फिटनेस रिंग मोबाईल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबे, इत्यादि का प्रवेश एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व, ई-प्रवेश पत्र मे दिये गये अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

6.7 मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे आवेदकों को परीक्षा केंद्रो मे प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

7 आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार

i) अनारक्षित वर्ग (UR) के आवेदकों हेतु	- रुपये 1200/-
ii) म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) (OBC)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/दिव्यांगजन के आवेदकों हेतु	- रुपये 600/-

आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नही किया जावेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ यू.पी.आई) से ही स्वीकार किया जावेगा । आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान के विकल्प प्रदान किये गये हैं ।

1. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किये जाने हेतु बैंक लेंन देन शुल्क, यदि लागू हों, का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जायेगा।
2. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क, जैसा लागू हो, एक बार भुगतान करने के बाद न तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या

चयन के लिए सुरक्षित किया जावेगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता, नियम पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों के अनुसार स्वयं सुनिश्चित कर लें।

3. किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जायें। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन करने कि स्थिति में, उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नही किया जायेगा।
4. यदि आवेदक एक से अधिक पद पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो आवेदक को प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा।

आवेदक के पास स्वयं का वैध ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक एवं अनिवार्य है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत किये गये ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर का आगामी एक वर्ष तक क्रियाशील रहना आवश्यक एवं अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आई.डी एवं मोबाईल नम्बर को परिवर्तित नही किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार आनलाईन आवेदन मे आवेदक द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी अथवा मोबाईल नम्बर पर ही किये जायेंगे।

8 <u>आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है:-</u>

i) कक्षा दसवीं (10^{th}) की अंकसूची।
ii) म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र (म.प्र.के मूल निवासी आवेदकों हेतु)।
iii) जाति प्रमाण पत्र (म.प्र के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)।
iv) आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को दिनांक 01.04.2025 के उपरांत सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाणपत्र)।
v) आय प्रमाण पत्र (म.प्र.के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों हेतु)।
vi) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (म.प्र. के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु)।
vii) आवेदित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/ प्रमाण पत्र।
viii) निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र (विभागीय संविदा कार्मिकों हेतु)।
ix) नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो)।
x) आवेदक का नवीन रंगीन छायाचित्र (Recent Photograph)।
xi) आवेदक के हस्ताक्षर।
xii) आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज।
xiii) आधार कार्ड।

9 महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

विवरण	दिनांक (सम्भावित)
ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	04/07/2025
ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	04/08/2025
ऑनलाइन आवेदन मे त्रुटि-सुधार करने हेतु समय सीमा	31/07/2025 से 06/08/2025

उपरोक्त तिथियाँ कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं।

ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियाँ नोटिस के माध्यम से म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट www.mptransco.in के Career खंड में पृथक से सूचित की जावेंगी। आवेदक परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in अथवा iforms.mponline.gov.in) पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगें। आवेदकों को ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने मे कोई कठिनाई अथवा परेशानी उत्पन्न होने पर हेल्प लाईन नम्बर- 0755-6720200 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन उपरांत प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि एवं इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारियों हेतु mp online की वेबसाइट का समय पर अवलोकन करते रहें।

10 **<u>पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें:</u>**

10.1 उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

10.2 विभागीय संविदा/ नियमित कर्मचारियों के संबंध में अनुभव की गणना के लिए कटऑफ तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। उम्मीदवार को निर्धारित प्रोफार्मा में अधीक्षण यंत्री/ महा प्रबंधक या उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

10.3 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/ अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों/ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें उम्मीदवार के विरूद्ध "कोई भी विभागीय कार्यवाही संस्थित अथवा लंबित नहीं होने" का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।

10.4 ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होगे। परंतु ऐसे उम्मीदवार जिनके पहले बच्चे के बाद जुडवा बच्चे पैदा हुए हों, वे पात्र होंगे।

10.5 अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को विगत तीन वित्तीय वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (तहसीलदार अथवा उच्च पद द्वारा जारी)।

10.6 ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का लाभ म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र/एक दिनांक 02.07.2019, क्रमांक एफ-07-11/2019/ आ.प्र./एक दिनांक 18.07.2019 एवं क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22.11.2019 के अनुसार दिया जावेगा। उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.04. 2025के उपरांत सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.7 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों को म.प्र. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए लागू जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। दिव्यांगजन उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी/ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.8 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर चुके है, म.प्र. शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

10.9 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. 3-17-96-3-11 दिनांक 25.10.1996 के निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

10.10 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूट रचित/ फर्जी/ बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा से पृथक किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

10.11 चयनित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.12 ऐसे आवेदक जिन्हें शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों/ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों इत्यादि द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

10.13 कंपनी किसी भी समय इस विज्ञापन में इंगित शर्तो को बदलने/ संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

10.14 यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पायी जाती है, तो सेवा/अनुबंध को शुरू से ही शून्य माना जाएगा और बिना किसी सूचना के सेवा को समाप्त कर दिया जायेगा जिसके लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा।

10.15 कोई भी अधिनियम/ कृत्य, जो किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त बनाता है, भी लागू होगा।

10.16 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक C3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 जो कि उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण अवधि सहित परिवीक्षा अवधि के दौरान, म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स सहपठित ऊर्जा

विभाग के पत्र दिनांक 05.04.2018 अंतर्गत संबन्धित पद के प्रारंभिक वेतन का प्रथम वर्ष में 70%, दूसरे वर्ष में 80% एवं तीसरे वर्ष में 90% एक मुश्त राशि प्रशिक्षुवृति देय होगा। म.प्र.राजपत्र (असाधारण) क्र.एफ-8-1-2020-नियम-चार दि. 22-02-2020 के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही अन्य भत्तों की पात्रता भी होगी।

द्वितीय श्रेणी के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को उनकी प्रशिक्षण अवधि में, चयनित पद हेतु लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम के समतुल्य प्रशिक्षु भत्ता देय होगा।

11. सेवा सह जमानत अनुबंध:

11.1 चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि, तथा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत तीन वर्ष की सेवा के लिए निर्धारित प्रारूप में सेवा-सह-जमानती अनुबंध पत्र (बांड) रू. 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर निष्पादित करना होगा।

11.2 बांड की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र के मामले में सेवा-अनुबंध-सह-जमानत बांड की राशि जो कि बिन्दु क्र. 15 में अंकित तालिका में दर्शाई गई है क्रमशः अनारक्षित/ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में अभ्यर्थी को प्रशिक्षु के रूप में कंपनी द्वारा भुगतान की गई शिक्षु वृति भी देय होगी।

11.3 किसी उम्मीदवार का पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की किसी भी उत्तरवर्ती कंपनियों में समान या उच्च पद पर चयन होने पर, उसे नोटिस अवधि सहित सेवा अनुबंध सह जमानत बांड की देनदारियों से शिथिलता प्रदान की जाएगी तथा शेष अवधि के लिए सेवा अनुबंध सह जमानत बांड संबंधित कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जावेगा।

12 नोटिस की अवधि:

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अथवा कंपनी कार्मिक एक महीने का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का पारिश्रमिक देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवा को समाप्त कर सकते हैं। सेवा-अनुबंध-सह-जमानत बांड की वैधता अवधि के दौरान कंडिका 11.1, 11.2 तथा 11.3 के प्रावधान भी लागू होंगे।

13 प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्तव्य और दायित्व:

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, चयनित अभ्यर्थी को नियमित रिक्त पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण/ ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक पखवाड़े के पूरा होने पर प्रशिक्षु को निर्धारित प्रारूप में एक पाक्षिक रिपोर्ट तुरंत नियंत्रक अधिकारी को जमा करनी होगी, जो उस पर विधिवत ग्रेडिंग अंकित कर प्रशिक्षु के अंतिम मूल्यांकन हेतु नियोक्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

14 प्रशिक्षण:

पदवार प्रशिक्षण की अवधि (प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो) बिन्दु क्रमांक 15 में दी गई तालिका के अनुसार होगी। अभ्यर्थी द्वारा सफलतापूर्वक

प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने पर अधिकत्तम 2 बार अर्थात् एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि होने पर छः-छः माह एवं छः माह की प्रशिक्षण अवधि होने पर तीन-तीन माह हेतु प्रशिक्षण अवधि विस्तारित की जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाता है तो नियमानुसार सेवा अनुबंध निरस्त कर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

15 **<u>वेतन, अन्य भत्ते, प्रशिक्षण अवधि एवं बॉण्ड राशि:</u>**

वेतन निर्धारण म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 द्वारा जारी वेतन मैट्रिक्स सहपठित ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 05.04.2018 एवं म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्र दिनांक 15.02.2019 के अधीन निम्नानुसार होगी:-

स. क्र.	पद	वेतनमान (लागू वेतन मैट्रिक्स अनुसार)		प्रशिक्षण अवधि	बॉण्ड राशि
		वेतनमान	वेतनमान का न्यूनतम		
1	सहायक अभियंता (पारेषण)	56100-177500 (लेवल- 12)	56100	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये
2	विधि अधिकारी	56100-177500 (लेवल- 12)	56100	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु दो लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये
3	कनिष्ठ अभियंता (पारेषण)	32800-136000 (लेवल- 8)	32800	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रूपये
4	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	32800-136000 (लेवल- 8)	32800	01 वर्ष	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रूपये
5	लाइन परिचारक	19500-62000 (लेवल- 4)	19500	06 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रूपये
6	उपकेन्द्र परिचारक	19500-62000 (लेवल- 4)	19500	06 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रूपये
7	सर्वेयर परिचारक	19500-62000 (लेवल- 4)	19500/-	06 माह	अनारक्षित वर्ग हेतु एक लाख रूपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु पचास हजार रूपये

16 आचरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में नियम और विनियम:

यदि कोई प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार, गैरकानूनी कृत्य, धोखाधड़ी और अनुशासनहीनता आदि, गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो यह प्रशिक्षु को सौंपे गए दायित्वों के लिए उसे अनुपयुक्त बना देगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशिक्षु पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति निम्नानुसार होंगी:-

(i) लघु शास्ति:-

क. एक महीने की प्रशिक्षुवृत्ति रोक दी जाना।

ख. प्रशिक्षु के कारण हुए नुकसान की वसूली। इस तरह के नुकसान का निर्धारण "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा किया जाएगा, जो कि अंतिम और प्रशिक्षु के लिए बाध्यकारी होगा।

अथवा

चेतावनी जो प्रशिक्षण के विस्तार/प्रशिक्षण की समाप्ति के उद्देश्य से रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।

ग. ये दंड एक साथ या अलग-अलग लगाए जा सकते हैं।

(ii) दीर्घ शास्ति:

संबंधित प्रशिक्षु की सेवा की समाप्ति के अलावा बांड राशि जैसे दायित्व की वसूली। आवश्यकतानुसार दांडिक/सिविल न्यायालयीन कार्यवाही की जा सकेगी।

17 नवीन पेंशन योजना (NPS):

चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उपरांत, कंपनी के प्रभावी नई पेंशन योजना (NPS) की नियमानुसार पात्रता होगी।

18 परिवीक्षा अवधि:

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए यह नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि सहित 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि मात्र एक बार एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी एवं विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी प्रशिक्षु कार्मिक का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं होने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की जावेगी।

द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि मात्र एक बार एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी एवं विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं होने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की जावेगी।

19 संदर्भ जांच, चरित्र सत्यापन और जाति सत्यापन:

19.1 चयनित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण, परिवीक्षा और नियुक्ति, चरित्र और पूर्ववृत्त के संतोषजनक सत्यापन के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार पुलिस

सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी। उम्मीदवार की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अधीन होगी और किसी भी प्रतिकूल टीप/सूचना प्राप्त होने पर नियुक्ति तत्काल समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी । रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना नियमानुसार आवश्यक है। संतोषजनक सत्यापन संबंधी कार्यवाही तक, नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

19.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में नियुक्ति चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति/ श्रेणी प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। यदि यह पाया जाता है कि जाति/ श्रेणी म.प्र. की अनुसूची में निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है अथवा प्रस्तुत किया गया जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र गलत/ नकली होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने पर नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

19.3 दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए, नियुक्ति/ कार्यभार ग्रहण मध्य प्रदेश शासन, सा.प्र.वि. परिपत्र एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक दिनांक 17.07.2014 एवं मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्र. 6116/1799121/ 2024/तेरह भोपाल दि.20-08-2024 के अनुसार नि:शक्तता के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी।

20 <u>क्षेत्राधिकार</u>

इस विज्ञापन से संबंधित चयन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय, जबलपुर में स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे ही मान्य होंगे।

21 कंपनी बिना कोई कारण बताए इस विज्ञापन अंतर्गत भर्ती की पूरी/आंशिक प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

टीप: यहां उल्लेखित नियम और शर्तें कंपनी द्वारा नए नियमों/विनियमों को अपनाने या वर्तमान नियमों/विनियमों में संशोधन के मामले में संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं तथा इस मामले में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा | भविष्य मे इस दस्तावेज़ के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो त्रुटि सुधार कर दस्तावेज़ मे संशोधन करने के अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेंगे |

संलग्न- पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों मे नियमित/संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप ।

(धीरेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों मे नियमित/संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप

कार्यालय का नाम :-

क्रमांक.. **दिनांक**

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. .... आत्मज/आत्मजा/पति/पत्नी श्री .... कर्मचारी संख्या................ म.प्र.मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी/म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी/म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी/म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत .... के पद पर नियमित/संविदा आधार पर कार्यरत/अनुबंधित रहे/रही हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी..............................के कार्यानुभव की अवधि का विवरण निम्नानुसार हैः-

01. (पदनाम)........................(नियमित) के पद पर कार्यरत रहने की अवधिः-

    i. दिनांक .... से दिनांक .... तक (............वर्ष .....माह........ दिन)

02. (पदनाम)........................(संविदा) के पद पर कार्यरत रहने की अवधिः-

    i. दिनांक .... से दिनांक .... तक (........वर्ष .....माह........ दिन)

    ii. दिनांक .... से दिनांक .... तक (.......वर्ष .....माह........ दिन)

    iii दिनांक .... से दिनांक .... तक (........वर्ष .....माह........ दिन)

    iv दिनांक .... से दिनांक .... तक (........वर्ष .....माह........ दिन)

    v दिनांक .... से दिनांक .... तक (........वर्ष .....माह........ दिन)

    vi कुल अवधि : ....वर्ष .... माह......... दिन

(क्रमांक 01 अथवा 02 में से जो लागू हो उसी का टंकन किया जावे) प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्य अवधि का मेरे द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान किया गया है।

महत्वपूर्ण टीपः

1. अधीक्षण यंत्री/महा प्रबंधक के स्तर अथवा इससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
2. यह प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2025-26 में म.प्र.पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. में नियमित पद हेतु जारी विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन हेतु ही वैध होगा।
3. प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक, इनके विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही संस्थित अथवा लंबित नही है।

दिनांक ....

स्थान ....

जारीकर्ता अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
(अधीक्षण यंत्री/ महा प्रबंधक अथवा उच्च अधिकारी)